

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 94

कपड़ा मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6047.61	179.89	6227.50	6190.98	35.52	6226.50	6225.77	25.03	6250.80	7109.84	37.89	7147.73
वसूलियां	-77.15	...	-77.15
प्राप्तियां
निवल	5970.46	179.89	6150.35	6190.98	35.52	6226.50	6225.77	25.03	6250.80	7109.84	37.89	7147.73
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.08	...	26.08	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	33.85	...	33.85
2. वस्त्र आयुक्त	34.68	...	34.68	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	34.00	...	34.00
3. जुट आयुक्त	7.12	...	7.12	11.00	...	11.00	9.94	...	9.94	11.00	...	11.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	67.88	...	67.88	75.00	...	75.00	73.94	...	73.94	78.85	...	78.85
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	2621.98	...	2621.98	2013.00	...	2013.00	1956.00	...	1956.00	2300.00	...	2300.00
5. भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	609.75	...	609.75	0.01	...	0.01	302.67	...	302.67	924.00	...	924.00
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	150.11	6.29	156.40	136.00	10.00	146.00	125.00	13.00	138.00	100.00	37.37	137.37
7. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम	26.56	...	26.56	32.00	...	32.00	25.00	...	25.00	19.00	...	19.00
8. रेशा आपूर्ति स्कीम	261.35	...	261.35	242.00	...	242.00	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00
9. व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय	3.74	173.10	176.84	15.00	25.00	40.00	1.00	...	1.00	0.76	...	0.76
10. हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर	40.11	...	40.11	44.00	...	44.00	32.28	...	32.28	35.00	...	35.00
11. बुनकर सेवा केंद्र	38.59	...	38.59	47.00	...	47.00	40.00	...	40.00	34.20	...	34.20
12. अन्य हथकरघा योजनाएं	31.92	...	31.92	53.00	...	53.00	34.00	...	34.00	19.76	...	19.76
जोड़-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	552.38	179.39	731.77	569.00	35.00	604.00	457.28	13.00	470.28	358.72	37.37	396.09
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
13. प्रशिक्षण एवं विस्तार	25.96	...	25.96	40.00	...	40.00	25.00	...	25.00	19.00	...	19.00
14. डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	62.95	...	62.95	60.00	...	60.00	55.00	...	55.00	41.80	...	41.80

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.80	...	3.80
16. विपणन सहायता एवं सेवाएं	50.37	...	50.37	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	34.20	...	34.20
17. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं	18.66	...	18.66	20.00	...	20.00	18.00	...	18.00	13.68	...	13.68
18. अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प	9.57	...	9.57	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	3.80	...	3.80
19. मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प	23.94	...	23.94	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00	11.40	...	11.40
20. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना	9.92	...	9.92	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	2.28	...	2.28
21. जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्प विकास योजना	2.00	...	2.00
22. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	57.48	...	57.48	43.70	...	43.70	15.22	...	15.22	30.00	...	30.00
23. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	32.42	...	32.42	40.00	...	40.00	38.60	...	38.60	34.66	...	34.66
24. हस्तकला अकादेमी	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	3.80	...	3.80
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	295.27	...	295.27	289.70	...	289.70	229.82	...	229.82	198.42	...	198.42
ऊनी वस्त्र का विकास												
25. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	25.00	...	25.00	11.45	...	11.45
26. ऊन विकास बोर्ड	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
27. एकीकृत ऊन सुधार एवं विकास कार्यक्रम	9.31	...	9.31	18.50	...	18.50
28. ऊन एवं ऊनी वस्त्र गुणवत्ता प्रसंस्करण योजना	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50
29. पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम	9.09	...	9.09	10.00	...	10.00
जोड़-ऊनी वस्त्र का विकास	21.85	...	21.85	32.00	...	32.00	25.00	...	25.00	11.45	...	11.45
रेशम वस्त्र का विकास												
30. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	496.51	...	496.51	565.00	...	565.00	600.00	...	600.00	500.61	...	500.61
31. रेशम मेगा क्लस्टर	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-रेशम वस्त्र का विकास	496.51	...	496.51	575.00	...	575.00	600.00	...	600.00	510.61	...	510.61
पटसन उद्योग का विकास												
32. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	58.00	...	58.00	54.00	...	54.00	91.40	...	91.40	19.00	...	19.00
33. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी	49.38	...	49.38	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	7.60	...	7.60
34. अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी)	3.50	...	3.50	3.52	...	3.52	4.52	...	4.52	1.54	...	1.54
जोड़-पटसन उद्योग का विकास	110.88	...	110.88	97.52	...	97.52	135.92	...	135.92	28.14	...	28.14
विद्युत करघा संवर्धन योजना												
35. पावर टेक्स इंडिया	87.15	...	87.15
36. एकीकृत विद्युत करघा विकास योजना	24.22	...	24.22	34.42	...	34.42	29.50	...	29.50
37. समूह वर्कशेड योजना	20.00	...	20.00	24.03	...	24.03	14.00	...	14.00
38. साधारण विद्युत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना	68.25	...	68.25	68.31	...	68.31	68.00	...	68.00
39. विद्युत करघा क्लस्टर विकास योजना - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर	10.10	...	10.10	25.00	...	25.00	1.00	...	1.00	25.00	...	25.00
40. समूह बीमा योजना	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00	3.00	...	3.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-विद्युत करचा संवर्धन योजना	124.57	...	124.57	161.76	...	161.76	115.50	...	115.50	112.15	...	112.15
वस्त्र अवसंरचना												
41. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	28.56	...	28.56	30.00	...	30.00	5.00	...	5.00	3.80	...	3.80
42. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना	49.19	...	49.19	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00
43. श्रमिक छात्रावास	2.01	...	2.01	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	0.76	...	0.76
44. वस्त्र समिति को सहायता	20.00	...	20.00	18.00	...	18.00	26.44	...	26.44	11.40	...	11.40
45. फ्लेटिड फैक्टरी सह इन्क्यूबेटरो	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
46. राज्य करों की माफी (आरओएसएल)	400.00	...	400.00	1555.00	...	1555.00	1855.00	...	1855.00	2163.85	...	2163.85
47. प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई)	200.00	...	200.00	10.00	...	10.00
जोड़-वस्त्र अवसंरचना	503.76	...	503.76	1860.00	...	1860.00	1931.44	...	1931.44	2222.81	...	2222.81
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
48. निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन	1.75	...	1.75	3.00	...	3.00	1.60	...	1.60	0.90	...	0.90
49. तकनीकी वस्त्र	30.80	...	30.80
50. वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50
51. आईपीसी को सहायता	0.65	...	0.65	1.00	...	1.00	0.20	...	0.20
52. अन्य (टीआरएजे, सीओपी)	12.37	...	12.37	10.00	...	10.00	9.40	...	9.40	8.66	...	8.66
53. एकीकृत कौशल विकास योजना	250.79	...	250.79	173.99	...	173.99	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
54. अनुसंधान एवं विकास कपड़ा	15.10	...	15.10	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00
55. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	60.31	...	60.31	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
56. कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन	0.01	...	0.01
57. निटवेअर पर प्रौद्योगिकी मिशन	0.01	...	0.01
58. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन	0.01	...	0.01
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	379.77	...	379.77	272.99	...	272.99	153.20	...	153.20	252.09	...	252.09
एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना												
59. एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	245.77	...	245.77	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	90.00	...	90.00
60. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना	17.24	...	17.24	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
61. पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	7.60	...	7.60
जोड़-एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	263.01	...	263.01	245.00	...	245.00	245.00	...	245.00	112.60	...	112.60
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	5979.73	179.39	6159.12	6115.98	35.00	6150.98	6151.83	13.00	6164.83	7030.99	37.37	7068.36
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
62. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
63. बर्ड जूट निर्यात निगम	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.01	0.01	...	0.50	0.50
64. त्रिटिशा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	0.01	...	12.01	12.01	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	0.50	0.50	...	0.52	0.52	...	12.03	12.03	...	0.52	0.52
अन्य												
65. वास्तविक वसूलियां	-77.15	...	-77.15
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-77.15	0.50	-76.65	...	0.52	0.52	...	12.03	12.03	...	0.52	0.52
कुल जोड़	5970.46	179.89	6150.35	6190.98	35.52	6226.50	6225.77	25.03	6250.80	7109.84	37.89	7147.73
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1467.73	...	1467.73	1553.46	...	1553.46	1349.60	...	1349.60	1078.35	...	1078.35
2. उद्योग	4478.12	...	4478.12	4249.55	...	4249.55	4484.20	...	4484.20	5742.20	...	5742.20
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.08	...	26.08	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	33.85	...	33.85
4. विदेशी व्यापार और निर्यात संबर्द्धन
5. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	179.39	179.39	...	35.00	35.00	...	13.00	13.00	...	37.37	37.37
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	0.50	0.50	...	0.52	0.52	...	12.03	12.03	...	0.52	0.52
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5971.93	179.89	6151.82	5835.01	35.52	5870.53	5865.80	25.03	5890.83	6854.40	37.89	6892.29
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	355.97	...	355.97	359.97	...	359.97	255.44	...	255.44
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.47	...	-1.47
जोड़-अन्य	-1.47	...	-1.47	355.97	...	355.97	359.97	...	359.97	255.44	...	255.44
कुल जोड़	5970.46	179.89	6150.35	6190.98	35.52	6226.50	6225.77	25.03	6250.80	7109.84	37.89	7147.73

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।
- वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत्करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का मॉनीटर करता है, वस्त्र आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।
- जुट आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और पटसन (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का संचालन भी करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे पटसन एवं पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना:** यह योजना पात्र मशीनरी के लिए एकवारगी पूंजी सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

5. **भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यमतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई एमएसपी पर समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण हानि, यदि कोई, होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

6. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाकलस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल होता है।

7. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:** i) हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना ii) हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना
8. **रेशा आपूर्ति स्कीम:** एनएचडीसी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न मुहैया कराना
9. **व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय:** वाराणसी के हथकरघा की समृद्ध परम्परा का विकास और संवर्धन करना
10. **हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर:** आधुनिक अवसरचना सहित सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उद्यमियों/बुनकरों को सहायता करना, बड़े हुए बाजार हिस्से के संबंध में क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादों के उच्च इकाई मूल्य वसूली द्वारा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवेकशील एवं बदलते बाजार मांग को पूरा करना और बुनकरों के जीवन स्तर को बढ़ाना।
11. **बुनकर सेवा केंद्र:** हथकरघा बुनकरों को कौशल, उन्नयन, डिजाइन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रहना
12. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** स्थापना, व्यय कार्यालय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय संग्रहालय, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्पादन अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद के हथकरघा (संरक्षण) के क्रियान्वयन और विकास आयुक्त हथकरघा (प्रवर्तन) से संबंधित है।
13. **प्रशिक्षण एवं विस्तार:** यह प्रशासनिक व्यय हैं जिन्हें बंद विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए पूरा करना होता है।
14. **डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना:** इस योजना का उद्देश्य नई डिजाइन के विकास और शिल्पियों के सुधरे/आधुनिक उपकरणों के प्रोटोटाइप की आपूर्ति, परंपरागत विरासत के संरक्षण के लिए दुर्लभ शिल्प के पुनरुद्धार के माध्यम से कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना है।
15. **अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य शिल्पियों के क्लस्टरों को व्यवसायिक तौर पर प्रबंधित और प्रभावशाली सदस्य प्रतिभागिता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत पर आत्मनिर्भर सामुदायिक उद्यम के रूप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्प का संवर्धन करना है।
16. **विपणन सहायता एवं सेवाएं:** रोजगार और शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने तथा विश्व बाजार में हस्तशिल्प की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने, बाजार अनुसंधान करने, भारत और विदेश में कार्यशाला तथा संगोष्ठी करने के लिए काउंसिल और हस्तशिल्प विकास निगम को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प का विकास, विस्तार करना और बाजार को बनाए रखना है।
17. **हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य 18-60 वर्ष की आयु के बीच वाले हस्तशिल्प कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
18. **अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प:** आर्थिक और सामाजिक तथा हस्तशिल्प के परंपरागत और संवर्धनात्मक पहलू पर फीडबैक के लिए अध्ययन कराना।

19. **मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प:** विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और इसके वित्तीय प्रबंधन तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रशासन में एनजीओ में कार्यरत स्टाफ को विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। आईटी, वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
20. **अवसरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना:** यह प्रावधान अवसरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के लिए है।
22. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाक्लस्टर की स्थापना हेतु
23. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** व्यय स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपणन एवं सेवा विस्तार, आर्थिक एवं शिल्प अनुसंधान और निर्यात संवर्धन से संबंधित है।
24. **हस्तकला अकाडेमी:** आवश्यक अवसरचना के साथ दिल्ली में हस्तशिल्प अकामदी का निर्माण।
25. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक को अपग्रेड करने के लिए, परिशोधन, कार्वनीकरण, धुनाई, रंगाई, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऊन परिशोधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, लद्दाख क्षेत्र में पाथमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए
30. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है।
31. **रेशम मेगा क्लस्टर:** रेशम मेगाक्लस्टर की स्थापना करना
32. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:**
33. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी:** एमएसपी अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता
34. **अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी):** भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के प्रशासनिक व्यय।
35. **पावर टेक्स इंडिया:** विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए, विद्युतकरघा उद्योग/बुनकरों को बेहतर तकनीकी सेवा मुहैया कराने के लिए, नये पीएससी स्थापित करने के लिए, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से उनके उत्पादों के विक्रय की सुविधा मुहैया कराने के लिए, नवीनतम डिजाइनों, उत्पादों और उत्पाद विविधताओं आदि के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्लस्टरों में समान्य सुविधा केन्द्र, यार्न बैंक और सूत उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए और विद्युतकरघा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए। मौजूदा एवं नये क्लस्टर में आधुनिक करघों के लिए कार्यशाला स्थापित करने के लिए जिससे व्यवसाय परिचालन के लिए अपेक्षित अर्थव्यवस्था के मानदण्ड प्राप्त होगा।स्वाभाविक मृत्यु दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक एवं स्थाई विकलांकता की स्थिति में विद्युतकरघा बुनकरों को बीमा कवर मुहैया कराने के लिए।

39. **विद्युत करघा क्लस्टर विकास योजना - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर** इस प्रावधान में विद्युतकरघा मेगाक्लस्टर की स्थापना शामिल है।
41. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना
42. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना:** वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास को सुविधा प्रदान करना।
43. **श्रमिक छात्रावास:** कामगारों के हॉस्टल के रूप में वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक स्थानों पर ऐसे आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना जो कि वस्त्र एवं अपैरल उद्योग की बहुतायत वाले क्षेत्रों में हों।
44. **वस्त्र समिति को सहायता:** इसके कार्यों में निर्यातों को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी के लिए मानकों को स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल हैं।
45. **फ्लेटिड फैक्टरी सह इन्क्यूबेटरो** स्टार्ट—अप के लिए एकीकृत कार्यस्थल तथा संपर्क आधारित उद्यमीय वातावरण सृजित करना।
46. **राज्य करों की माफी (आरओएसएल):** इस स्कीम के अंतर्गत राज्य करों को परिधान निर्यातकों को विप्रेषित की जाएगी ताकि परिधान उद्योग को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है।
47. **प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई):** इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार पीएमपीआरपीवाई के तहत ईपीएफओ भर्ती नए कर्मचारियों को अनेक रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के लिए, कर्मचारी पेंशन स्कीम अंशदान का अंशदान का 8.33 प्रतिशत नियोक्ताओं को प्रदान करेगी। यह वस्त्र क्षेत्र में नियोक्ताओं को बेरोजगार व्यक्ति भर्ती के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार को बढ़ाएगा और अनौपचारिक कर्मचारियों को नियमावली में लाएगा।
48. **निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन:** वस्त्र निर्यातों हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदमों और रणनीतियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना।
49. **तकनीकी वस्त्र:** घरेलू एवं निर्यात बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में आ रही बाधाओं को दूर करना।
50. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** किसी संपूर्ण वस्त्र इकाई अथवा किसी विशिष्ट हिस्से के स्थायी रूप से बंद हो जानेके कारण बेरोजगार हो गए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराना।
52. **अन्य (टीआरएजे, सीओपी):** टीआरए तथा स्थापना के आवर्ती व्यय के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना तथा भुगतान आयुक्त के व्यय
53. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना

54. **अनुसंधान एवं विकास कपड़ा:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और टीआरए, संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
55. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** निफ्ट पेशेवर लोगों को फैशन उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विभिन्न पूर्णअवधि के डिग्री/डिप्लोमा तथा अंशकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
59. **एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना:** पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का उद्देश्य कच्ची सामग्री, बीज बैंकों, मशीनरी, सामान्य सुविधा केंद्रों, कौशल विकास, डिजाइन एवं विपणन सहायता आदि आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध करारकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित एवं आधुनिकीकृत करना है।
60. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास के लिए जैव-टेक्स्टाइल का उपयोग करना
61. **पूर्वोत्तर में कृषि वस्त्रों के संवर्धन हेतु योजना:** पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी एवं फूलों की खेती के उत्पादन में सुधार के लिए एग्रोटेक्स्टाइल्स के प्रयोग को बढ़ावा देना।
62. **राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम:** सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति हेतु पटसन सामानों (बोरों) के विनिर्माण के कारोबार का संचालन करना
63. **बर्ड जूट निर्यात निगम:** पटसन फैब्रिक की एक विनिर्माण इकाई
64. **ब्रिटिश इंडिया कॉपोरेशन लिमिटेड:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक बीआईएफआर संदर्भित कंपनी
65. **वास्तविक वसूलियां:** वसूलियां